प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:- 17.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

“एण्टी रोमियो टीम” द्वारा शहर की बालिकाओं/महिलाओं को दिये आत्म-रक्षा सम्बन्धी जानकारी एवं कोविड-19 के प्रति किया जागरुक

आज दिनाँक 17.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे “एण्टी रोमियो टीम” के तहत उ0नि0 शिल्पी शुक्ला (महिला थाना) मय महिला आरक्षी रेनू, प्रतिमा महिला एचजी प्रेमा देवी, महिला PRD क्रान्ति देवी द्वारा एवं प्र0नि0 महिला थाना श्री अनिल कुमार मय टीम महिला आरक्षी मीनाक्षी यादव, अनीता देवी द्वारा नगर के तहसील चौराहा, मुख्य बाजार, रामकथा मार्ग आदि स्थलों पर भ्रमण कर छात्राओं/बालिकाओं/महिलाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरुक किया गया एवं उनके सहायता हेतु हेल्प लाइन नं0 112, 1090, 108, 181, 1076 आदि नंबरो को बताया गया। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए जागरुकता अभियान के तहत सभी से **मास्क पहनने एवं 02 गज की दूरी** बनाये रखने की अपील की गई। बहुत जरुरी होने पर ही घरो से निकलने को कहा गया। टीम द्वारा मास्क का वितरण भी किया गया।

03 घन्टे के अन्दर लापता 02 बच्चियों को कुलपहाड़ पुलिस ने किया बरामद

दिनाँक 16.04.2021 की रात्रि समय करीब 23.41 बजे वादिया श्रीमती रमादेवी पत्नी दिनेश ढीमर उम्र 37 वर्ष, निवासी मु0 हटवारा कस्बा व थाना कुलपहाड जिला महोबा द्वारा थाना उपस्थित आकर अपनी बेटी **1.** डोली उम्र करीब 13 वर्ष व उसके भाई की पुत्री **2.** कु0 आयुषी उम्र करीब 5 वर्ष, शाम से बिना बताये कहीं चली जाने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर **मु0अ0सं0 87/2021 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत** कराया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में प्र0नि0 कुलपहाड श्री रविन्द्र कुमार तिवारी द्वारा त्वरित टीम गठित कर सर्विलांस के माध्यम से प्राप्त लोकशन के अनुसार कस्बा मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन जिला झाँसी पर मौजूद दोनो गुमशुदा बच्चियों को लगभग **03 घन्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर लिया गया।** बाद आवश्यक कार्यवाही बच्चियों को उनके माता-पिता को सुपुर्द किया गया। कुलपहाड़ पुलिस के इस कार्यशैली की क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है।

पुलिस टीम का विवरण:-

1. SHO श्री रविन्द्र कुमार तिवारी
2. कां0 हरिप्रताप सिंह
3. कां0 प्रमोद कुमार
4. PRD अजय यादव

Mahoba Police

कुलपहाड़ पुलिस द्वारा नकली QR कोड सहित 786 अदद क्वाटर अवैध नकली शराब की बरामद

आज दिनाँक 17.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध/नकली शराब की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र0नि0 कुलपहाड श्री रविन्द्र कुमार तिवारी मय टीम के ग्राम सिरमौर में अभियुक्त योगेन्द्र पाल के खाली मकान में से 8 बोरियों में कुल 786 अदद क्वाटर अवैध नकली शराब व नकली QR कोड व भिन्न भिन्न सीरियल नं0 अंकित है, बरामद की गई । जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर **मु0अ0सं0 88/2021 धारा 272/419/420/467/468/471 भादवि व 60(A) आबकारी अधिनियम बनाम (1) योगेन्द्र पाल पुत्र रामकिशोर (2) करन राजपूत पुत्र दयाराम राजपूत निवासीगण ग्राम सिरमौर थाना कुलपहाड जिला महोबा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।**

वाँछित अभियुक्तों का विवरण:-

(1) योगेन्द्र पाल पुत्र रामकिशोर
(2) करन राजपूत पुत्र दयाराम राजपूत
नि0गण ग्राम सिरमौर थाना कुलपहाड जिला महोबा।

बरामद माल का विवरण:-

08 बोरियो में 786 अदद क्वाटर अवैध नकली शराब, जिसके रैपरो पर दिल से का लेबल लगा है एवं नकली QR कोड व भिन्न भिन्न सीरियल नं0 अंकित है। (बरामद नकली शराब की कुल मात्रा लीटर में लगभग 157.2 लीटर)

पुलिस टीम का विवरण:-

1. SHO रविन्द्र कुमार तिवारी
2. उ0नि0 रघुनाथ यादव
3. कां0 हरिप्रताप सिंह
4. कां0 प्रमोद कुमार
5. आबकारी निरीक्षक श्री योगेश कुमार गुप्ता
6. आबकारी कां0 मुश्ताक उल्ला खाँ

वीकेंड लॉकडाउन का जनता पूर्णतः पालन करे- एसपी

उ0प्र0 शासन द्वारा आज **दिनाँक 17.04.2021 को रात्रि 08.00 बजे से दिनाँक 19.04.2021 को सुबह 07.00 बजे (35 घन्टे) तक वीकेंड लॉकडाउन** लगाये जाने के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम, सीओ सिटी श्री रामप्रवेश राय मय कोतवाली महोबा पुलिस बल के साथ नगर में पैदल गस्त करके लोगो को वीकेंड लॉकडाउन के प्रति जागरुक करते हुए लोगो से घरों में रहने की अपील की गई है। सीओ चरखारी श्री उमेश चन्द्र द्वारा थाना चरखारी सर्किल में भ्रमण कर पीए सिस्टम द्वारा लोगो को लॉकडाउन के प्रति जागरुक किया गया। जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र में भ्रमण कर एनाउंस करके लोगो से अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि आवश्यक वस्तु की सप्लाई जारी रहेगी। लोगो को **"02 गज की दूरी मास्क है जरुरी"** का संदेश दिया गया। लॉकडाउन व कोविड-19 नियमो के उल्लंघन पर **159 व्यक्तियों से 20100/-रू0 शमन शुल्क वसूला गया।**